HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal No. 271/2015
CNR: RJHC020816762015 | URN: CRLA / 571U / 2015

Hari Mohan Meena Son of Ram Khiladi Meena, R/o 1094, Barkat Nagar, Kisan Marg, Jaipur, the then Assistant Engineer, Vidyut Zone, Jaipur Development Authority, Jaipur.

----Appellant-accused.

Versus

State Of Rajasthan Through P.P.

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Ashvin Garg with Mr. Gaurav Gupta
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P. & Mr. Gaurav Gupta, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Judgement

Date of conclusinon of arguments	28-07-2026
Date of which the judgment was reserved	28-07-2026
Whether the full judgment or only the operative part was pronounced	No
Date of Pronouncement	11-08-2026

विद्वान विचारण न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम–1, जयपुर द्वारा नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या–16/2008, राजस्थान राज्य बनाम हरिमोहन मीणा में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 23.03.2015 से व्यथित होकर अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से यह अपील पेश की गई है। उक्त निर्णय द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी–अभियुक्त को धारा 7 एवं धारा 13(1)(डी)(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराधों में दोषसिद्ध करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 7 के अपराध के लिये एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000/–रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 13(1)(डी)(2) के अपराध के लिये 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000/–रूपये अर्थदण्ड तथा अदम अदायगी अर्थदण्ड 6 मास के साधारण कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया गया।

अपील के निस्तारण हेतु संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी देवी सिंह ने दिनांक 17.04.2006 को समय करीब 1:20 पी0एम0 पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 प्रस्तुत कर अंकित किया कि वह जयपुर विकास प्राधिकरण में बिजली कार्यों का ठेकेदार है, उसके द्वारा जे0डी0ए0 के मालवीय नगर, श्याम मित्र मण्डल नगर, मुरलीपुरा, श्याम नगर, श्रीगोपाल नगर, चित्रकूट सैक्टर–9 में स्थित पार्कों में बिजली के लाईट वाले पोल व रोशनी के लिए लाइटें लगाने का कार्य किया था, जिसका लगभग साढ़े पांच लाख रूपए का भुगतान बनता है, जिसमें से उसने 2,48,000/–रूपए के लगभग भुगतान प्राप्त कर लिया है। जयपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्य हेतु सहायक अभियन्ता हरिमोहन मीणा शेष भुगतान के लिए 15000/–रूपये की अवैध राशि की मांग कर रहा है तथा यह धमकी दी कि यदि रूपये नहीं दिये तो वह उसके बिलों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। वह, हरिमोहन मीणा सहायक अभियन्ता पर पूर्व में भी 5000/–रूपये खर्च कर चुका है। कल दिनांक 16.04.2006 को रविवार को भी हरिमोहन मीणा ने उसे जयपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिस में बुलाया और कहा कि उक्त रूपए नहीं देने पर वह उसका पैमेन्ट नहीं होने देगा। हरिमोहन मीणा, सार्वजनिक निर्माण विभाग से जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। उसके पास हरिमोहन मीणा को देने के लिए सिर्फ दस हजार रूपए ही हैं, वह इस भ्रष्ट अधिकारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ाना चाहता है, उसकी श्री मीणा से रंजिश नहीं है, अतः कानूनी कार्यवाही कर परिवादी को न्याय दिलवाए जाने की प्रार्थना की गई।

उक्त शिकायत पर श्री जे0के0 व्यास, उप–अधीक्षक पुलिस, भ्र0नि0 ब्यूरो द्वारा प्रारंभिक सत्यापन कराया, जिन्होंने परिवादी के मोबाइल से आरोपी के मोबाइल पर वार्ता करवाई, जिसे टेपरिकार्डर में टेप किया और दो स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्शन तैयार की, उक्त वार्ता में आरोपी द्वारा बतौर रिश्वत 10,000/–रूपए लेने की सहमति की गई। तत्पश्चात् प्रस्तुत राशि के नंबरों को नोट कर उन पर सोडियम कार्बोनेट व फिनाफ्थलीन पाउडर लगवाकर गवाहान की मौजूदगी में ट्रेप की कार्यवाही की गई, फर्द रिश्वत राशि व हाथ धुलाई मुर्तिब की गई, जिसमें आरोपी द्वारा रिश्वत राशि स्वीकार करने के पश्चात् बरामदगी की कार्यवाही की गई, जिसमें

9,500/–रूपए उसकी कार के डैस्कबोर्ड से तथा 500/–रूपए आरोपी द्वारा पेट्रोल पम्प पर दिये जाने का कथन किया, तत्पश्चात् मौके की कार्यवाही में परिवादी के कपड़े जब्त किए गए, आरोपी की कार से एम0पी0 पुस्तिकाएं एवं अन्य दस्तावेज बरामद किए गए एवं मौके की आवश्यक कार्यवाही औपचारिकताएं पूर्ण कर आरोपी को गिरफ्तार किया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु मुख्यालय भेजी गई, तत्पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–107/2006, पुलिस अधीक्षक द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा दर्ज की गयी एवं सामान्य अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात् अभियुक्त हरिमोहन मीणा के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपराध अंतर्गत धारा 7, 13(1)(डी)(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में अभियोग–पत्र पेश किया गया।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त धाराओं में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किए गए, जिसे अभियुक्त ने इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

आरोपित अपराध को प्रमाणित करने के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में कुल 14 गवाहान को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–36 दस्तावेजात प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये। तत्पश्चात् अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षण करने पर उसने स्वयं को निर्दोष होना और झूठा फंसाया जाना प्रकट किया। साक्ष्य सफाई में अभियुक्त की ओर से डी0डब्ल्यू–1 सुखराम विश्नोई के बयान लेखबद्ध कराए तथा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रदर्श डी–1 लगायत प्रदर्श डी–4 दस्तावेजात प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये गये।

तत्पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 23.03.2015 को आलौच्य निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी–अभियुक्त को उपर्युक्तानुसार अपराधों में दोषसिद्ध व दण्डादिष्ट किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से यह अपील पेश की गई है।

बहस अपील सुनी गई।

अपीलार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का समुचित एवं न्यायसम्मत मूल्यांकन नहीं कर, अभियोजन की सारभूत कमियों की उपेक्षा करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है। उनका यह भी

तर्क रहा है कि जिस परिवादी की शिकायत पर संपूर्ण अभियोजन कहानी आधारित है, स्वयं उसी ने न्यायालय के समक्ष पी0डब्ल्यू–1 के रूप में उपस्थित होकर अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है तथा उसने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा उससे किसी प्रकार की रिश्वत की मांग किये जाने एवं उसके द्वारा कोई रिश्वत स्वीकार किए जाने के कथन नहीं किए हैं, जिस पर उसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर उससे विस्तृत प्रतिपरीक्षण किए जाने के बावजूद भी उसने रिश्वत की मांग एवं स्वीकृति जैसे आवश्यक तत्वों को सिद्ध नहीं किया है, परिवादी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि रिपोर्ट में रिश्वत मांगने अथवा उसकी राशि संबंधी विवरण किसके कहने पर लिखाया, उसे याद नहीं है तथा उससे 20–25 खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये गए थे, अतः रिश्वत राशि की मांग एवं स्वीकृति का आधार संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ है।

उनका आगे यह भी तर्क रहा है कि घटना के दिन परिवादी का ऐसा कोई ऐसा कार्य अभियुक्त के समक्ष लंबित नहीं था, जिसके निष्पादन हेतु रिश्वत की आवश्यकता हो, अनुसंधान अधिकारी ने यह भी जांच नहीं की कि परिवादी के कौन–कौन से बिल लंबित थे, वे किस अधिकारी के समक्ष विचाराधीन थे तथा अभियुक्त–अपीलार्थी की उनमें वास्तविक भूमिका क्या थी, इस प्रकार कथित मांग का कोई तथ्यात्मक एवं विधिक आधार अभियोजन द्वारा स्थापित नहीं किया है।

उनका यह भी तर्क रहा है कि एफ0एस0एल0 रिपोर्ट अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करती, क्योंकि शर्ट की जेब के धुलाई नमूने में फिनॉल्फ्थेलीन नहीं पाया गया, जबकि अभियोजन कहानी अनुसार रिश्वत राशि पहले जेब में रखी गई थी।

उनका यह भी तर्क रहा है कि कथित सत्यापन कार्यवाही, मोबाइल वार्ता एवं उसकी ट्रांसक्रिप्शन (प्रदर्श पी–2) अभियोजन साक्ष्य से विधिसम्मत रूप से सिद्ध नहीं हुई है, वार्ता किस मोबाइल नंबर पर, किस समय और किस व्यक्ति के मध्य हुई यह प्रमाणित नहीं कराया है, परिवादी स्वयं ने प्रतिपरीक्षण में सीडी/कैसेट में रिकॉर्ड आवाज को अपीलार्थी–अभियुक्त की आवाज के रूप में पहचानने से इंकार किया है, जिस मोबाईल नंबर की कॉल डिटेल प्राप्त की गई, वह अभियुक्त एवं परिवादी से संबंधित होने का भी कोई विश्वसनीय दस्तावेज पेश नहीं किया गया, कथित वार्ता करने वाले व्यक्ति

की पहचान वैज्ञानिक अथवा अन्य विश्वसनीय साक्ष्य से प्रमाणित नहीं की गई है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की सुरक्षित अभिरक्षा एवं उसकी वैधानिक प्रमाणिकता भी सिद्ध नहीं की गई है, कथित कैसेट/सीडी को मालखाने में जमा नहीं कराया गया है, उसके सुरक्षित संरक्षण एवं उससे किसी प्रकार की छेड़छाड़ न होने का कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त किसी स्वतंत्र साक्षी ने अभियुक्त को परिवादी से रिश्वत की मांग करते हुए देखने अथवा सुनने का कथन किया हो, ऐसी साक्ष्य नहीं दी है। कथित ट्रांसक्रिप्ट पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है और न ही फर्द ट्रांसक्रिप्शन प्रदर्श पी–2 का किसी विशेषज्ञ से प्रमाणीकरण कराया गया है, जिस कारण ट्रांसक्रिप्टशन से संबंधित सीडी (प्रदर्श पी–18) साक्ष्य में ग्राह्य नहीं मानी जा सकती। अभियोजन, साक्ष्य से यह भी सिद्ध नहीं होता है कि रिकॉर्ड की गई आवाज किस व्यक्ति की थी अथवा ट्रांसक्रिप्शन किस आधार पर तैयार किया गया, अतः प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अभियोजन कहानी को पुष्ट करने हेतु विश्सनीय नहीं है।

उनका यह भी तर्क रहा है कि उपलब्ध साक्ष्य से परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य पूर्व रंजिश होने के तथ्य प्रकट हुए हैं, जिसकी पुष्टि साक्ष्य सफाई के दौरान परीक्षित गवाह डी.डब्ल्यू–1 के कथनों से भी हुई है। अतः यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा असत्य तथ्यों के आधार पर शिकायत प्रस्तुत की गई है। कथित रिश्वत राशि अभियुक्त के शरीर अथवा उसकी जेब से बरामद नहीं हुई है, बल्कि वाहन/कार के डेस्क बोर्ड से बरामद हुई है, जिसकी अभियुक्त को जानकारी नहीं थी। परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य पूर्व रंजिश होने के कारण इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त जब मार्ग में लघु–शंका हेतु उतरा था, तब परिवादी ने ही अवसर का लाभ उठाकर राशि वाहन के डैस्कबोर्ड में रख दी हो, इस संबंध में परिवादी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त के वाहन से उतरने के पश्चात् उसने 9500/–रूपए गाड़ी की डैस्कबोर्ड में रख दिए थे, अभियुक्त ने उससे न तो 10,000/–रूपए की मांग की और न ही कोई राशि प्राप्त की, अतः राशि की बरामदगी अभियुक्त के सचेतन कब्जे से सिद्ध नहीं हुई है, अभियोजन यह भी सिद्ध नहीं कर सका कि राशि अभियुक्त की सूचना अथवा निशादेही से बरामद हुई थी, बल्कि जब अभियुक्त के पास राशि नहीं मिली तब परिवादी के बताने पर वाहन के डैस्कबोर्ड से निकाली गई, अतः अभियुक्त के सचेतन

कब्जे से बरामदगी होने व कथित राशि स्वीकार किए जाने के आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं हुए हैं, रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करती है, अतः मात्र बरामदगी होने के आधार पर ही अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता।

उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन, अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी द्वारा अवैध परितोषण की मांग, परितोषण की स्वीकृति, अभियुक्त का कार्य परिवादी के अधिकार क्षेत्र में लंबित होना, कथित राशि की बरामदगी अभियुक्त के कब्जे से होना, जैसे आवश्यक तत्वों को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है, जबकि भ्रष्टाचार के अपराध में दोषसिद्धि हेतु उक्त सभी तत्व साबित होना विधिक रूप से अनिवार्य है, जिसका इस प्रकरण में अभाव है। अतः अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय एवं दंडादेश निरस्त करते हुए अपीलार्थी को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की। अपने उक्त तर्कों के समर्थन में उनके द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई है।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का मुख्य रूप से यह तर्क रहा कि मात्र परिवादी के पक्षद्रोही होने के आधार पर संपूर्ण अभियोजन कहानी पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। ट्रेप कार्यवाही, स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति, रिश्वत राशि की बरामदगी, रासायनिक परीक्षण तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य से अवैध रिश्वत राशि की मांग, स्वीकृति एवं बरामदगी जैसे महत्वपूर्ण तथ्य संदेह से परे प्रमाणित हैं, अतः विद्वान विचारण न्यायालय का आलौच्य निर्णय विधिसम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है, अतः अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

उभय पक्ष के तर्कों, समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य, प्रस्तुत लिखित बहस आदि का समग्र परीक्षण करने पर इस अपील के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न प्रश्न विचारणीय हैं–

1. क्या अभियोजन अपीलार्थी द्वारा अवैध पारितोषिक की मांग तथा सचेतन कब्जे को संदेह से परे सिद्ध कर सका है, 2. क्या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, ट्रांसक्रिप्शन, एफ0एस0एल0 रिपोर्ट, ट्रेप कार्यवाही विधिक कसौटी पर विश्वसनीय एवं ग्राह्य है, 3. क्या विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन कर दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया गया अथवा उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित है?

उपरोक्त प्रश्नों के परीक्षण हेतु अभियोजन ने कुल 14 गवाहान का परीक्षण कराया, जिनमें परिवादी देवीसिंह को अभियोजन द्वारा **पी.डब्ल्यू–1** के रूप में परीक्षित कराया है, जिसने अपने परीक्षण में यह अवश्य स्वीकार किया कि उसने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत प्रस्तुत की, किन्तु उसने अभियोजन के मूल आरोप कि अपीलार्थी ने उससे अवैध राशि की मांग की तथा रिश्वत प्राप्त की, का स्पष्ट समर्थन नहीं किया है, उसने न्यायालय में कहा कि अभियुक्त ने उससे न तो रिश्वत मांगी एवं न ही कोई राशि प्राप्त की, उसने यह भी कहा कि ए0सी0बी0 में दी गई रिपोर्ट उसके कथनानुसार नहीं लिखी गई, बल्कि ए0सी0बी0 अधिकारियों ने उससे पूछताछ के आधार पर तैयार की। विशेष लोक अभियोजक द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षण के बावजूद परिवादी ने 15000/–रूपए अथवा 10,000/–रूपए की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उसने यह भी कहा कि उसे यह याद नहीं है कि रिपोर्ट में रिश्वत मांगने अथवा उसकी राशि संबंधित विवरण किसके कहने पर लिखे गए, उससे 20–25 खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए थे, अतः परिवादी के उक्त कथन अभियोजन के मूल आरोप का ही पूर्णतः खण्डन करते हैं।

प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी भागचंद **पी.डब्ल्यू–7** है, जिसने ट्रैप की कार्यवाही में अपनी उपस्थिति तो स्वीकार की है, किन्तु उसने यह नहीं कहा कि उसने स्वयं अपीलार्थी को परिवादी से रिश्वत की मांग करते हुए सुना या अभियुक्त को राशि स्वीकार करते हुए देखा हो। उक्त गवाह की साक्ष्य रिश्वत की मांग एवं स्वीकृति के मूल प्रश्नों का प्रत्यक्ष समाधान नहीं करती। अन्य स्वतंत्र साक्षी **पी.डब्ल्यू–8** हरिनारायण वर्मा ने भी अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग एवं स्वीकृति का कोई प्रत्यक्ष समर्थन नहीं किया। उक्त स्वतंत्र गवाहान के कथन मुख्यतः ट्रैप पूर्व, ट्रेप पश्चात की प्रक्रिया एवं दस्तावेजी औपचारिकताओं तक ही सीमित हैं। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त दोनों स्वतंत्र साक्षीगण पी0डब्ल्यू–7 एवं पी0डब्ल्यू–8 के कथनों को महत्व देते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि उनकी उपस्थिति अभियोजन की कहानी को पुष्ट करती है, किन्तु इस न्यायालय की राय में किसी साक्षी की साक्ष्य का महत्व उसी सीमा तक माना जा सकता है, जिस सीमा तक उसने किसी तथ्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया हो, यदि किसी साक्षी ने न तो मांग सुनी और न ही स्वीकृति देखी, तो उसकी साक्ष्य केवल ट्रेप की प्रक्रिया तक

की पुष्टि तो कर सकती है, किन्तु अपराध के आधारभूत तत्वों मांग एवं स्वीकृति को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा सकती।

प्रकरण में ट्रेप दल के कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में अन्य गवाहान **पी0डब्ल्यू–2** मालीराम, **पी0डब्ल्यू–3** पप्पूराम तथा गवाह **पी0डब्ल्यू–11** महावीरप्रसाद जोशी हैं, इन्होंने संयुक्त रूप से अपनी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा रिश्वत की राशि शर्ट की जेब में रखी होने के कथन किए हैं, जो एफ0एस0एल0 रिपोर्ट/रासायनिक परीक्षण (प्रदर्श पी–24) के तथ्यों से एकदम विपरीत हैं। एफ0एस0एल0 रिपोर्ट प्रदर्श पी–24 में फिनाफ्थलीन की मौजूदगी नहीं पाई गई है, इस तथ्य को ट्रेप दल के अन्य अधिकारी **पी0डब्ल्यू–10** जयकिशन व्यास, ए0सी0बी0 उपाधीक्षक एवं **पी0डब्ल्यू–11** महावीर प्रसाद ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है। गवाह **पी0डब्ल्यू–12** जगदीशप्रसाद भी ट्रेप कार्यवाही का साक्षी है, जिसने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी की तलाशी में कोई पैसे नहीं मिले तथा यह भी स्वीकार किया कि उसने परिवादी और मुलजिम के बीच पैसों का आदान–प्रदान नहीं देखा। उक्त ट्रेप दल गवाहान के मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के कथनों में गंभीर विरोधाभास दृष्टिगोचर हुआ है।

प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी मानप्रकाश **पी0डब्ल्यू–14** है, जिसके द्वारा अनुसंधान की समस्त कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने यह स्वतंत्र जांच नहीं की कि परिवादी का कौनसा बिल वास्तव में लंबित था एवं वह किस अधिकारी के समक्ष विचाराधीन था। इसके अतिरिक्त अनुसंधान अधिकारी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि एफ0एस0एल0 रिपोर्ट (प्रदर्श पी–24) के अनुसार शर्ट के नमूने में फिनाफ्थलीन पाउडर की मात्रा नहीं पाई गई थी, अतः उक्त गवाह की मौखिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य अभियोजन कहानी की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

पी0डब्ल्यू–4 शिव कुमार शर्मा अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाला गवाह है, जिसने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने पत्रावली के गुणावगुण पर विचार नहीं किया, इसलिए वह यह नहीं बता सकता कि अभियुक्त बिल पास करने में सक्षम है या नहीं। उक्त गवाह के प्रतिपरीक्षण से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि स्वीकृति प्राधिकारी ने अनुसंधान अभिलेखों के प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू पर स्वतंत्र रूप से विचार

किया हो। बल्कि उसकी साक्ष्य से अभियोजन स्वीकृति केवल औपचारिक अथवा यांत्रिक ढंग से जारी किया जाना जाहिर हुआ है।

अभियोजन द्वारा प्रकरण में मालखाना प्रभारी **पी0डब्ल्यू–5** कल्याणसहाय है, जिसने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी–13 (मालखाना रजिस्टर की नकल) में शीशियां एफ0एस0एल0 में जमा कराने के लिए घनश्याम को दी तथा प्रदर्श पी–13 में घनश्याम का नोट अंकित नहीं है कि उसने शीशियां सील्ड हालत में प्राप्त की थी, प्रदर्श पी–13 में घनश्याम कानि0 के हस्ताक्षर नहीं हैं। गवाह घनश्याम **पी0डब्ल्यू–6** ने प्रकरण में जब्तशुदा सैम्पलों को मालखाना प्रभारी से प्राप्त कर एफ0एस0एल0 में जमा कराने की साक्ष्य दी है, जिसने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे अलग से seal impression का कागज नहीं दिया गया, अतः प्रकरण में लिया गया सैम्पल एफ0एस0एल0 में सीलबन्द अवस्था में जमा होने तथा कथित सैम्पल की सुरक्षित अभिरक्षा के तथ्य संदेहास्पद प्रतीत होते हैं।

गवाह **पी0डब्ल्यू–9** सी0एल0 वर्मा, अभियुक्त हरिमोहन मीणा की नियुक्ति बाबत् दस्तावेजों का औपचारिक साक्षी है तथा गवाह **पी0डब्ल्यू–10** जयकिशन अनुसंधान की प्रकिया से संबंधित हैं, जिन्होंने अभियुक्त द्वारा अवैध पारितोषिक की मांग को प्रत्यक्ष देखने और कथित स्वीकृति के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

गवाह **पी0डब्ल्यू–13** हेमन्त सिंह जो पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के रूप में कार्यरत था, उसने मात्र सफेद कलर के फोरव्हीलर वाहन में 500/–रूपए का पेट्रोल भरने की साक्ष्य दी है, जो पक्षद्रोही हुआ है तथा उसने विशेष लोक अभियोजक द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त के विरूद्ध ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी है, जो अभियोजन कहानी का किसी प्रकार से समर्थन करती हो।

साक्ष्य सफाई में बचाव पक्ष की ओर से गवाह **डी0डब्ल्यू–1** सुखराम विश्नोई है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि घटना से पूर्व दिनांक 12.04.2006 को वह एवं हरिमोहन कार्यालय में कार्य कर रहे थे, उस दौरान देवी सिंह द्वारा कार्य की रेट कम होने से, उसे घाटा होने का कथन कर उसका ठेका खत्म करने की बात की, तब हरिमोहन द्वारा कांट्रेक्ट के अनुसार काम करने का कहने पर, हरिमोहन एवं देवीसिंह के बीच बोलचाल, धक्का–मुक्की होने एवं उसके द्वारा बीच–बचाव करने तथा

देवीसिंह द्वारा हरिमोहन को जाते समय उसका इलाज करने की धमकी दिए जाने की साक्ष्य दी। उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इंकार किया कि देवीसिंह का शपथपत्र प्रदर्श पी–11 झूठा हो या उक्त शपथ–पत्र जबरन डरा–धमकाकर मुलजिम ने अपने बचाव के लिए तैयार करवाया हो। उक्त गवाह की साक्ष्य से परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य पूर्व वैमनस्य होना प्रकट हुआ है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों में यह सिद्ध करना आवश्यक है कि लोक सेवक के पास ऐसा कार्य लंबित था जिसके संबंध में अवैध पारितोषिक की मांग की जा सकती थी, अभियोजन के लिए एक महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य तथ्य है।

इस संबंध में परिवादी देवीसिंह पी0ड01 की साक्ष्य का विस्तृत विवेचन करें तो उसने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया कि कार्य की माप (Measurement Book) जेईन (कनिष्ठ अभियन्ता) द्वारा की जाती थी, उसका सत्यापन एईएन (सहायक अभियन्ता) करता था तथा अंतिम भुगतान का अधिकार एक्सईन (अधिशासी अभियन्ता) के पास था, इस संदर्भ में अनुसंधान अधिकारी मानप्रकाश पी0डब्ल्यू–14 ने भी स्वीकार किया कि उसने यह जांच ही नहीं की कि परिवादी के कौन–कौनसे बिल वास्तव में लंबित थे तथा वे किस अधिकारी के समक्ष विचाराधीन थे तथा उनमें अपीलार्थी की वास्तविक प्रशासनिक भूमिका क्या थी। इस संबंध में उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि बिलों को पास करने का एवं चैक के जरिये भुगतान करने का अधिकार अधिशाषी अभियंता के पास होता है। किन्तु अभियोजन द्वारा अधिशाषी अभियन्ता के बयान भी नहीं लिए, जिसके स्तर पर अंतिम भुगतान होना था, अतः उसकी साक्ष्य प्रथमदृष्टया ही अभियोजन की कहानी संदेहास्पद प्रकट होती है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय ने सत्यापन कार्यवाही के दौरान रिकॉर्ड की गई कथित मोबाइल वार्ता तथा उसके ट्रांसक्रिप्ट पर विशेष भरोसा किया है। किन्तु इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता केवल उसके प्रस्तुत कर देने से सिद्ध नहीं होती, बल्कि उसकी प्रमाणिकता, अखंडता तथा सुरक्षित अभिरक्षा भी विधिवत स्थापित की जानी आवश्यक होती है। अभिलेख का परीक्षण करने पर यह सिद्ध नहीं होता कि मूल रिकॉर्डिंग, उसकी अभिरक्षा तथा ट्रांसक्रिप्ट की तैयारी संबंधित प्रक्रिया निर्विवाद रूप से प्रमाणित की गई हो। कथित वार्ता में दूसरी ओर बोलने वाले व्यक्ति की पहचान का भी

कोई स्वतंत्र वैज्ञानिक परीक्षण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉनिक सामग्री इतनी विश्वसनीय नहीं कही जा सकती कि केवल उसी के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित रखी जा सके। इसके अतिरिक्त ट्रेप से पूर्व जिस मोबाइल पर बातचीत कर मांग का सत्यापन किए जाने का दावा किया गया, उससे यह प्रमाणित नहीं कराया गया है कि दूसरी ओर से वार्ता करने वाला व्यक्ति वास्तव में अभियुक्त ही था। ट्रांसक्रिप्ट में कथित वार्तालाप परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य होने का उल्लेख नहीं है। परिवादी द्वारा टेपरिकार्डर में रिकॉर्ड कथित आवाज की पहचान नहीं कराई गई है। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने वाले व्यक्ति को गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, कथित कैसेट पर किसी प्रकार की नमूना सील अंकित नहीं है, प्रदर्श पी–13 मालखाना रजिस्टर में डिजिटल टेपरिकार्डर कैसिट/सीडी को मालखाने में जमा करवाने का उल्लेख नहीं है, अतः मूल रिकॉर्डिंग के सुरक्षित संरक्षण का कोई विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65–बी के अनुरूप आवश्यक प्रमाणपत्र भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, इन सभी परिस्थितियों में प्रदर्श पी–2 ट्रांसक्रिप्शन को स्वतंत्र एवं विश्सनीय इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नहीं माना जा सकता, जो सत्यापन कार्यवाही की विश्वसनीयता पर भी महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करता है।

इसके अलावा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत शिकायत में जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया था, उनका समर्थन न्यायालय में परिवादी तथा अन्य स्वतंत्र साक्षीगण की मौखिक साक्ष्य से नहीं हुआ है। अतः केवल परिवादी की शिकायत अथवा अनुसंधान के दौरान किए गए संदेहास्पद एवं विरोधाभासी कथनों के आधार पर ही दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती, बल्कि न्यायालय का निष्कर्ष विधिवत सिद्ध की गई साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। किन्तु पत्रावली में ऐसी कोई प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष भी निकाला जा सके कि परिवादी किसी दबाव अथवा अनुचित प्रभाव के कारण न्यायालय में पक्षद्रोही हुआ हो, इस संदर्भ में परिवादी देवीसिंह का शपथ पत्र **प्रदर्श पी–11** का अवलोकन करें तो उक्त शपथ–पत्र में परिवादी ने इस तथ्य से पूर्ण इंकार किया है कि उस पर अनैतिक दबाव बनाकर उससे झूठा शपथपत्र लिया गया हो।

प्रकरण में अभियोजन द्वारा परिवादी को पक्षद्रोही घोषित कर उससे विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया, यद्यपि पक्षद्रोही साक्षी/परिवादी के उस भाग पर विश्वास किया जा सकता है, जो अन्य स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य से पुष्ट हों, किन्तु वर्तमान मामले में परिवादी से शिकायत, सत्यापन कार्यवाही, ट्रेप तथा कथित भुगतान के संबंध में अनेक प्रश्न पूछे गए, जिसमें परिवादी द्वारा मांग एवं स्वीकृति से इनकार करने, परिवादी के अधिकार क्षेत्र में अभियुक्त का कोई कार्य लंबित नहीं होने के कथन किए हैं। इसके अलावा किसी स्वतंत्र एवं अन्य साक्षीगण की साक्ष्य अथवा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्व ारा अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं की गई है। स्वतंत्र साक्षीगण के कथन भी मुख्यतः ट्रेप की औपचारिक कार्यवाही तक सीमित प्रतीत हुए हैं, जिन्होंने ट्रेप से पूर्व की कार्यवाही, फ्नोफथैलीन पाउडर लगाने की प्रक्रिया तथा उसके पश्चात तैयार की गई कार्यवाही/ पंचनामों का समर्थन अवश्य किया है, किन्तु किसी ने भी अपीलार्थी को अवैध राशि की मांग करते हुए सुनने या रिश्वत राशि स्वीकार करते हुए देखने की साक्ष्य नहीं दी है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध का मूल आधार केवल बरामदगी नहीं, बल्कि परिवादी के अधिकार क्षेत्र में कोई कार्य लंबित होना, उसके क्रम में पूर्व अवैध परितोषण की मांग एवं उसके पश्चात् उसकी स्वैच्छिक स्वीकृति का प्रमाण होना है, किन्तु उपलब्ध साक्ष्य में इन अनिवार्य तत्वों का अभाव दर्शित हुआ है तथा इलेक्ट्रॉनिक, वैज्ञानिक/रासायनिक साक्ष्य भी अभियोजन के उक्त महत्वपूर्ण तत्वों को पुष्ट करने की बजाय उसमें संदेह उत्पन्न करते हैं।

ट्रेप दल के कर्मचारी/अधिकारियों ने शिकायत प्राप्त होने, सत्यापन, ट्रेप दल के गठन, ट्रेप पूर्व एवं पश्चात् कार्यवाही तथा राशि की बरामदगी का विस्तृत विवरण दिया है, जिनके कथनों से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा एक विधिवत ट्रेप आयोजित किया जाना अवश्य सिद्ध होता है, किन्तु न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह नहीं है कि ट्रेप आयोजित हुआ अथवा नहीं, बल्कि यह है कि क्या उस ट्रेप के माध्यम से अभियोजन, अवैध परितोषण की मांग एवं उसकी स्वैच्छिक स्वीकृति के आवश्यक तत्वों को संदेह से परे सिद्ध कर पाया है। ट्रेप अधिकारी/कर्मचारी स्वयं कथित मांग के प्रत्यक्ष साक्षीगण नहीं है, उनके कथनों का महत्वपूर्ण भाग परिवादी द्वारा दी गई सूचना

तथा ट्रेप के पश्चात की घटनाओं पर आधारित है, पूर्व ट्रेप एवं पश्चात् ट्रेप मीमो के दस्तावेज भी अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने का तथ्य सिद्ध नहीं करते हैं। जब परिवादी स्वयं ही न्यायालय में मांग एवं स्वीकृति का समर्थन नहीं करता, तब ट्रेप अधिकारियों/कर्मचारियों के कथन, जो मुख्यतः परिवादी की सूचना पर आधारित है, स्वतंत्र प्रत्यक्ष साक्ष्य का स्थान ग्रहण नहीं कर सकते।

ट्रेप अधिकारियों के प्रतिपरीक्षण के कथनों से यह स्पष्ट हुआ है कि कथित राशि अपीलार्थी के शरीर अथवा उसकी जेब से बरामद नहीं हुई, बल्कि उसके वाहन से प्राप्त हुई, यदि अभियोजन का कथन यह है कि राशि पहले अभियुक्त ने अपने हाथ से प्राप्त कर जेब में रखी और उसके बाद उसे वाहन के डेस्क बोर्ड में रखा, तो उस कथन की पुष्टि स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य से होना आवश्यक था, किन्तु परिवादी सहित किसी भी स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण ने उक्त तथ्यों की पुष्टि नहीं की है।

मात्र वाहन के डैस्क बोर्ड से राशि बरामदगी के आधार पर स्वैच्छिक स्वीकृति का निष्कर्ष निकालना सही नहीं माना जा सकता, जब अभियोजन कहानी अनुसार अपीलार्थी ने पहले राशि शर्ट की जेब में रखी और बाद में वाहन के डैस्कबोर्ड में रखी गई, यदि वास्तव में ऐसा होता तो शर्ट की जेब के धुलाई नमूने में फिनॉल्फ्थेलीन की उपस्थिति अवश्य होती, किन्तु एफ0एस0एल0 रिपोर्ट/वैज्ञानिक साक्ष्य से भी अभियुक्त की जेब अथवा वस्त्रों में फिनॉल्फथेलीन की उपस्थिति होने की पुष्टि नहीं हुई है। ट्रेप अधिकारियों द्वारा भी अभियुक्त के जेब अथवा कपड़े में फिनॉल्फथलीन पाये जाने के तथ्य से इनकार किया गया है। अतः उक्त मौखिक, दस्तावेजी, वैज्ञानिक एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संयुक्त परीक्षण से अभियोजन, ट्रेप की प्रक्रिया तथा अनुसंधान की औपचारिकताओं को पर्याप्त सीमा तक प्रदर्शित करता है, किन्तु मांग, स्वैच्छिक स्वीकृति तथा अपीलार्थी के विरुद्ध परिवादी का कोई कार्य लंबित रहने के आधारभूत तथ्यों की स्थापना के संबंध में महत्वपूर्ण संदेह दर्शित हुआ है, अतः मात्र राशि बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराध से संलिप्त नहीं किया जा सकता।

अतः अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व रासायनिक परीक्षण, बरामदगी की प्रकृति, धारा 20 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत उपधारणा तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभियोजन कहानी अनुसार अपीलार्थी ने रिश्वत राशि स्वीकार कर अपने नियंत्रण में रखी, जो बाद में उसके वाहन के डैस्कबोर्ड से बरामद हुई, किन्तु परिवादी ने न्यायालय में इस घटनाक्रम का समर्थन नहीं किया कि राशि उसी ने वाहन में रखी थी, ऐसी स्थिति में केवल बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती, बरामदगी का महत्व तभी है जब अभियोजन यह भी सिद्ध करे कि बरामद की गई राशि अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार की गई थी और उस पर उसका सचेत नियंत्रण था, विशेषतः तब, जब राशि अभियुक्त के शरीर या वस्त्र से न होकर किसी अन्य स्थान अभियुक्त के वाहन के डेस्कबोर्ड से बरामद हुई हो, जो परिवादी द्वारा ही रखी गई हो। यद्यपि अभियोजन ने फिनॉल्फ्थेलीन परीक्षण एवं रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट पर भी विशेष भरोसा किया है, जो अभियोजन को निर्णायक सहायता नहीं देती। ऐसा परीक्षण केवल नोटों के संपर्क का सकेत देता है, वह स्वयं अवैध मांग अथवा स्वैच्छिक स्वीकृति का प्रमाण नहीं है, इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक निष्कर्ष भी अभियोजन द्वारा वर्णित घटनाक्रम से पूर्णतः मेल नहीं खाते, क्योंकि अभियोजन के अनुसार राशि पहले अभियुक्त के वस्त्र के संपर्क में आई है।

राज्य की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत वैधानिक उपधारणा (Statutory Presumption) लागू होने का तर्क दिया गया। किन्तु यह उपधारणा तभी लागू होती है, जब अभियोजन सर्वप्रथम यह सिद्ध कर दे कि अभियुक्त ने रिश्वत की मांग की हो और अवैध पारितोषिक स्वीकार किया हो। वर्तमान प्रकरण में परिवादी ने मांग एवं स्वीकृति के आवश्यक तत्वों का समर्थन नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रमाणिकता निर्विवाद रूप से स्थापित नहीं हुई, राशि की बरामदगी भी ऐसे स्थान से हुई जो अपने आप में स्वैच्छिक स्वीकृति का अपरिहार्य निष्कर्ष उत्पन्न नहीं करता, अतः धारा 20 के अंतर्गत उपधारणा को स्वतः लागू नहीं किया जा सकता। धारा 20 के अंतर्गत उपधारणा प्रतिवर्तनीय (Rebuttable) है। यदि पत्रावली में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो, जिससे अभियोजन की कहानी में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न हो, तो वहां साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन कर उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना आवश्यक है। आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत भी यह है कि अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करना होता है, अभियुक्त से अपनी निर्दोषता संदेह से

परे सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं की जाती। वर्तमान मामले में ऐसी अनेक परिस्थितियां मौजूद हैं, जो अभियोजन के कथनों के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न करती हैं।

यह निर्विवाद विधिक स्थिति है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों में अवैध पारितोषिक की मांग (Demand) एवं रिश्वत राशि की स्वीकृति अपराध के मूल एवं अनिवार्य तत्व हैं, यदि अभियोजन इन आधारभूत तथ्यों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहता है, तो मात्र बरामदगी, रासायनिक परीक्षण अथवा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर ही दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती।

इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन करें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने B- Jayaraj v- State of Andhra Pradesh (2014) 13 SCC 55 में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि जब परिवादी स्वयं न्यायालय में अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं करता और रिश्वत की मांग किया जाना ही सिद्ध नहीं होता, तब मात्र राशि की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा 20 के अंतर्गत उपधारणा तभी उत्पन्न होती है जब अभियोजन पहले स्वीकृति (Acceptance) का आधारभूत तथ्य भी सिद्ध करे। वर्तमान प्रकरण में भी परिवादी द्वारा रिश्वत की मांग का एवं उसकी स्वीकृति का समर्थन न किया जाना इस निर्णय के सिद्धांत को प्रत्यक्षतः लागू करता है।

इसी प्रकार P- Satyanarayana Murthy v- District Inspector of Police {State of Andhra Pradesh} (2015) 10 SCC 152 में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय ने कहा कि यदि मांग सिद्ध नहीं होती तो मात्र Recovery अथवा Phenolphthalein Test के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं रह सकती। इस निर्णय का मूल सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों से पूर्णतः साम्य रखता है, क्योंकि यहां भी अभियोजन, प्रत्यक्ष साक्ष्य मांग के प्रश्न पर न्यायालय के समक्ष स्थिर नहीं रह सका।

इसके अलावा संविधान पीठ ने Neeraj Dutta v- State (Government of NCT of Delhi), (2023) 4 SCC 731 में पूर्ववर्ती समस्त निर्णयों का विस्तृत परीक्षण करते हुए विधि की स्थिति को पुनः स्पष्ट किया। संविधान पीठ ने यह प्रतिपादित किया कि अवैध पारितोषिक की मांग अपराध का अनिवार्य तत्व है। यद्यपि मांग को प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य से सिद्ध किया जा सकता है, केवल बरामदगी अथवा धनराशि का

प्राप्त होना अपने आप में दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता। संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत वर्तमान मामले के परीक्षण में निर्णायक महत्व रखता है। वर्तमान प्रकरण में भी परिवादी ने एवं स्वतंत्र साक्षीगण ने रिश्वत राशि की मांग एवं स्वीकृति का समर्थन नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रमाणिकता भी निर्विवाद रूप से स्थापित नहीं हुई है, अनुसंधान अधिकारी भी लंबित कार्य एवं अपीलार्थी की वास्तविक भूमिका के संबंध में स्पष्ट एवं संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, ऐसी परिस्थितियों में केवल बरामदगी को आधार बनाकर मांग का निष्कर्ष निकालना संविधान पीठ के प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा।

वर्तमान प्रकरण में संदेह केवल किसी एक परिस्थिति से उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि परिवादी के न्यायालयीन कथनों एवं स्वतंत्र प्रत्यक्ष साक्ष्य में मांग एवं स्वीकृति के संबंध में विरोधाभास, लंबित कार्य के संबंध में अस्पष्टता, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की सीमाओं तथा बरामदगी की प्रकृति, इन सभी परिस्थितियों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होता है। आपराधिक न्यायशास्त्र का यह मूल सिद्धांत है कि यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से दो संभावित निष्कर्ष निकलते हों, जिनमें एक अभियुक्त की दोषसिद्धि की ओर तथा दूसरा उसकी निर्दोषता की ओर संकेत करता हो, तो न्यायालय उस दृष्टिकोण को अपनाएगा जो अभियुक्त के पक्ष में हो। वर्तमान प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य अनेक ऐसे युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करते हैं, परिवादी एवं स्वतंत्र साक्षीगण द्वारा मांग एवं स्वीकृति का प्रत्यक्ष समर्थन नहीं करते, कथित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रमाणिकता निर्विवाद रूप से स्थापित नहीं हुई हैं, कथित राशि आरोपी के शरीर अथवा जेब से बरामद न होकर वाहन के डेस्कबोर्ड से प्राप्त हुई, परिवादी ने स्वयं उस राशि डेस्कबोर्ड में रखने की बात स्वीकार की है। इन परिस्थितियों को अलग–अलग नहीं, बल्कि समग्र रूप से देखा जाना आवश्यक है। इस न्यायालय की दृष्टि में ट्रैप की कार्यवाही का विधिवत आयोजित होना और राशि का बरामद होना अपने आपमें पर्याप्त नहीं है, ट्रैप कार्यवाही तभी दोषसिद्धि का आधार बन सकती है जब उससे अपराध के आवश्यक तत्व विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा सिद्ध हों। वर्तमान मामले में मांग एवं स्वैच्छिक स्वीकृति दोनों के संबंध में ऐसी कोई विश्वसनीय एवं निर्विवाद साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, न ही अभियुक्त का कोई कार्य परिवादी के अधिकार क्षेत्र में लंबित होने बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत हुई है। अतः

वर्तमान प्रकरण में उक्त निर्णय के सिद्धांत प्रत्यक्षतः लागू होते हैं, जिसके आधार पर अभियुक्त के पक्ष में उपधारणा कायम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः इस न्यायालय द्वारा संपूर्ण अभिलेख, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, उभय पक्ष की दलीलों तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों के समग्र परीक्षण के पश्चात यह निष्कर्ष अपरिहार्य रूप से उभरकर सामने आता है कि अभियोजन, अपीलार्थी के विरुद्ध रिश्वत की मांग तथा उसकी स्वैच्छिक स्वीकृति को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ है। विचारण न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय उन परिस्थितियों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जो अभियोजन के मामले में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करती थीं।

उपरोक्त संबंध में इस न्यायालय का यह मत है कि यदि परिवादी के न्यायालयीन कथनों एवं स्वतंत्र प्रत्यक्ष साक्ष्य में विरोधाभास, लंबित कार्य के संबंध में अस्पष्टता, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की सीमाएँ, बरामदगी की प्रकृति तथा वैज्ञानिक साक्ष्य की सीमा इन सभी परिस्थितियों को एक साथ देखा जाए, तो अभियोजन का मामला संदेह से परे सिद्ध नहीं होता।

उपरोक्त समग्र मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र विवेचन से प्रकरण में निम्न परिस्थितियां उजागर हुई हैंः–सर्वप्रथम परिवादी पी0डब्ल्यू–1 ने रिश्वत मांगने एवं उसकी स्वीकृति से इनकार कर प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की ताईद नहीं की है, स्वतंत्र गवाहान ने भी मांग एवं स्वीकृति के आधारभूत तथ्यों की पुष्टि नहीं की है, न ही लंबित कार्य परिवादी के अधिकार क्षेत्र में होना सिद्ध हुआ है, प्रकरण में सत्यापन प्रक्रिया भी वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं हुई है, न ही ट्रांसक्रिप्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विधिसम्मत रूप से सिद्ध हुई है, कथित राशि अभियुक्त के शरीर से या उसकी जेब से मिलने का तथ्य को भी अभियोजन द्वारा संदेह से परे साबित नहीं किया गया है, जिसके अनुक्रम में एफ0एस0एल0 रिपोर्ट भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करती, इन सभी परिस्थितियों का संयुक्त प्रभाव अभियोजन कहानी पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है, जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति, प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों, उभय पक्ष के तर्कों तथा इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विधिक स्थिति की रोशनी में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अपीलार्थी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(1)(डी)(2) के आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं तथा उन्हें बनाए रखना न्यायोचित नहीं होगा।

<u>आदेश</u>

फलस्वरूप, अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, जयपुर द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या–16/2008, राजस्थान राज्य बनाम हरिमोहन मीणा में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 23.03.2015 अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी–अभियुक्त हरिमोहन मीणा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13 (1) (डी) (2)के अपराधों से दोषमुक्त (Acquitted) किया जाता है।

यदि अपीलार्थी निरुद्ध है और किसी अन्य प्रकरण में उसकी उपस्थिति अपेक्षित नहीं है, तो उसे तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। यदि वह जमानत पर है, तो उसके जमानत बंधपत्र एवं मुचलके, दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के अधीन, आवश्यक अवधि तक प्रभावी रहने के उपरान्त स्वतः निरस्त माने जाएंगे।

माननीय उच्चतम न्यायालय में इस निर्णय के विरूद्ध विशेष अपील अनुमति याचिका प्रस्तुत होने पर उसमें उपस्थिति हेतु धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत एक लाख रूपए का बंधपत्र एवं इसी राशि की जमानत विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद दो माह की अवधि में प्रस्तुत कर तस्दीक करावें।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI/Reserve